

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक दुखन राम प्रथम पक्ष
बनाम

पक्ष खुवमान माकवा द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 06/22 सन् 2021
धारा 144 द० प्र० स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p><u>23/11/24</u></p>	<p>आवेदक/आवेदिका - दुखन राम पिता स्व० गुल्ली राम ग्राम - जनताजरीडीह, थाना - बिरनी, जिला - गिरिडीह. द्वारा द० प्र० स० कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा - जरीडीह थाना नं० - 70, खाता सं० - 118</p> <p>i. प्लॉट नं० - 57 रकवा - 80 डी०</p> <p>चौहदी उ० - जुजो प्लॉट द० - जुजो प्लॉट प० - जुजो प्लॉट पं० - रास्ता</p> <p>ii प्लॉट नं० - 43 रकवा - 50 डी०</p> <p>चौहदी उ० - जुजो प्लॉट द० - जुजो प्लॉट प० - जुजो प्लॉट पं० - प्लॉट नं० 57</p> <p>कुल खाता 1 प्लॉट 2 कुल रकवा 1.30 एकड मे भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिरनी /थाना प्रभारी बिरनी से मांगे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>02/11/24</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><u>खुवमान माकवा</u> बगोदर- सरिया</p>	<p><u>351</u> <u>23/11/24</u></p>

क्र. सं.
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी 19 बिदनी के पत्रांक 19 दिनांक 02/09/22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 28/09/22 को करण-पृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

तथापि एवं संशोधित ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

3rd अधि० बिदनी
के पत्रांक 19
दिनांक 02/09/22

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उत्तम पक्ष उपरिष्ठ। to 03/02/22	
03/02/22	अभिलेख- अस्थापित। प्रथम पक्ष वकालत उपरिष्ठ। द्वितीय पक्ष अस्थापित। to 17/02/22	
18/2/22	अभिलेख उपस्थापित। उत्तम पक्ष उपरिष्ठ। to 24/02/22	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपरिष्ठ। द्वितीय पक्ष वकालत उपरिष्ठ। to 03/03/22	
03/03/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालत उपरिष्ठ। द्वितीय पक्ष अनुपस्थापित। तृतीय पक्ष विलम्ब से उपरिष्ठ। उत्तम पक्ष के विरुद्ध अभिवक्तों को सुना गया कारिका (नोटों) का अवलोकन किया। to 10/03/22	

10/3/22
10/3

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>10/3/22</p> <p>12/3/22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री दारिदल किया गया। आदेशार्थ 12/3/22 को रक्के।</p> <p style="text-align: right;">10/3/22</p> <p>आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>पश्चात्त बाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। डिप्टी पक्ष के द्वारा इसका विरोध करने हुये कारण प्रथम दारिदल किया गया तथा अपना दल एवं दावा उत्तुन किया गया।</p> <p>पश्चात्त बाद से लम्बित प्रति और मजदूरी का ल रवाने की है तथा उभय पक्ष स्वाद दुस्मानता से प्रारम्भ का दावा कर रहे हैं। अंचल अधिकारी द्वारा अपने निर्बदन में स्पष्ट रूप से जमाबंदी का अभिलेख नहीं किया है तथा दरल-कठजा को विवादित बनाया है गया है। दरल-कठजा एवं स्वामित्व का निर्धारण इस कार्य में नहीं किया जा सकता है। कि यह बाद लोक</p>	

प्रा की क्र० सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर कोई गड़
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

परिचालि के कामकाज को
हनु कारकाय विभाग साधा
मा जो र. ज. स. की धारा
144(4) के अन्तर्गत परिचालित
होना है।

उक्त नियंत्रण के
आलोच के बाद भी कार्यवाही
समाप्त की जानी है।

12/10/2019
S.D.M